कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–221002

पत्रांक :– कु0स0–समिति / 4713 / शोध / 09

दिनांक :– 08 दिसम्बर, 2009

सूचना

कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनीय है कि कुलपति जी के निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुछ विभाग में शोध छात्र लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। अनुपस्थित होने वाले छात्रों को विभागाध्यक्ष सूचित करें कि शोध अध्यादेश के अनुसार जिस तिथि को उनका शुल्क जमा हुआ है उसी तिथि से उनका पंजीकरण मान्य होगा। परन्तु विभाग में नियमित रूप से उपस्थित होनें की तिथि से दो वर्ष बाद ही छात्र का शोध प्रबन्ध जमा हो सकेगा। ऐसे शोध छात्रों का जो शोध अध्यादेश के अनुसार शोध शुल्क जमा करनें की तिथि से 4 वर्ष पूर्ण कर लेगें उनकी एक वर्ष की समयावधि विरतारित नहीं की जायेगी और उनका शोध पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

शोध छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या कु0स0–समिति / 3103 / शोध / 2009, दिनांक– 20जनवरी, 2009 द्वारा निर्देश जारी है।

प्रत्येक शोध छात्र की छःमाही प्रगति रिपोर्ट एवं उपस्थिति प्रत्येक विभाग से नियमित रूप से कुलपति जी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना आवश्यक है जो शोध छात्र फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं और विभाग में अनुपस्थित चल रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान रोकते हुए कुलपति जी को अवगत कराया जाय।

(आई0पी0 झा)
कुलसचिव